जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-17.09.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटर साईकिल लूट की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा मय कारतूस व 01 मोटर साईकिल बरामदः-

दिनांक 16/17.09.2025 की रात्रि में थाना कांधला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत मोटर साईकिल लूट की घटना में थाना थानाभवन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 243/2025 धारा 309(4) बीएनएस में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त किसी घटना को अंजाम देने के लिये थाना कांधला क्षेत्र में आना वाला है।

प्राप्त सूचना के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं चोरी/लूट की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम खन्द्रावली नहर पटरी पर चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल पर 02 व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग की गयी। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत मोटर साईकिल लूट की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त शाहरुख पुत्र सलीम निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा, 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 01 मोटर साईकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त का 01 साथी लाखन मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। अभियुक्त से बरामद मोटर साईकिल के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख पुत्र सलीम निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली नें पूछताछ पर बताया कि दिनाँक 07.07.2025 को मैने अपने साथी लाखन निवासी सहारनपुर के साथ मिलकर थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भनेड़ाउद्दा नहर पुल के पास से मोटर साईकिल सवार व्यक्ति को रोककर मोटर साईकिल लूटी थी जो लाखन के पास है और लाखन से बरामद हो सकती है।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शाहरुख पुत्र सलीम निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध एक तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

2.एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहरुख उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 136/2021 धारा 392/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 160/2021 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 161/2021 धारा 307 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 163/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 308/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 243/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 387/2025 धारा 109(1)/317(5) व 3/25/27 थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

4.का0 नितिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

एसओजी टीम शामली एवं थाना आदर्शमण्डी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना थानाभवन से गैगंस्टर अधिनियम में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी टीम शामली एवं थाना आदर्शमण्डी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना थानाभवन से गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामिया अभियुक्त मोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को करौड़ी पुल के पास से पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। घायल अभियुक्त मोनू उपरोक्त को उपचार हेतु सीएचसी शामली में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.एक हीरो सुपर स्पलेण्डर मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनू उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 657/2024 धारा 305(ए)/317(2)/331(4)/61(2) बीएनएस थाना कैराना शामली।

2.मु0अ0सं0 658/2024 धारा 305(ए)/317(2)/331(4)/61(2) बीएनएस थाना कैराना शामली।

3.मु0अ0सं0 464/2024 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना थानाभवन शामली।

4.मु0अ0सं0 202/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 152/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र गिरि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह प्रभारी एसओजी टीम जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

4.है0का0 विक्रान्त सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

5.का0 अशोक पहल थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

6.है0का0 हरवेन्द्र एसओजी टीम जनपद शामली।

7.का0 ललित चौधरी एसओजी टीम जनपद शामली।

8.का0 मनीष कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

9.का0 दीपक निर्वाल एसओजी टीम जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 02.09.2025 को थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गयी थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनाँक 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.शाहरुख उर्फ भोल्लर पुत्र यामीन निवासी ग्राम राणा माजरा थाना सनौली पानीपत हरियाणा ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।

2.है0का0 जुल्फिकार थाना कांधला जनपद शामली ।

3.हो0गा0 जयवीर थाना कांधला जनपद शामली ।

थाना थानाभवन पर संचालित साइबर सेवा केन्द्र द्वारा की गयी कार्यवाही में ठगी के 6,498/- रुपये (शत-प्रतिशत) धनराशि वापस कराई गईः-

ज्ञात हो आवेदिक श्री पारस पुण्डीर पुत्र रामबीर सिंह निवासी ग्राम नौजल थाना थानाभवन जनपद शामली बैंक खाते से 6,498/- की अज्ञात व्यक्ति द्वारा ठगी कर ली गयी थी। आवेदिक श्री पारस पुण्डीर उपरोक्त द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर दिनांक 17.08.2025 को आनलाईन शिकायत दर्ज करायी गयी थी।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन श्री जितेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक को पत्राचार कर आवेदिक श्री पारस पुण्डीर उपरोक्त से ठगी की गई 6,498/ रुपये (शत प्रतिशत) धनराशि वापस कराई गई है। आवेदिक श्री पारस पुण्डीर उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन का आभार व्यक्त किया गया है।

थाना थानाभवन साईबर सेवा केन्द्र टीमः-

1.श्री जितेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी थानाभवन जनपद शामली।

2.प्रभारी निरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह रावत थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली

4.व0उ0नि0 श्री राहुल सिसौदिया थाना थानाभवन जनपद शामली

5.क0ओ0 अमरजीत सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना कांधला पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 250 ग्राम चरस बरामदः-(अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 25 हजार रुपये)*

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 17.09.2025 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर बिलाल पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली को अवैध 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कांधला पर मु0अ0सं0- 388/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त बिलाल उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.बिलाल पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 250 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
- है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
- का0 सूर्यप्रताप थाना कांधला जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम केरटू के निकट सिद्धू मूसेवाला पंजाबी ढाबा के पास हुई मारपीट कर हत्या कर देने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

ज्ञात हो कि दिनांक 29.08.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केरटू के निकट अंकुर पुत्र सन्तू निवासी ग्राम रियावली नगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर की सिद्धू मूसेवाला पंजाबी ढाबा के पास अभियुक्तगण राजबीर, जयबीर, अंकित द्वारा मारपीट कर हत्या कर देने के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को दिये गये थे

इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केरटू के निकट सिद्धू मूसेवाला पंजाबी ढाबा के पास हुई हत्या के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्तगण राजवीर व जयवीर निवासीगण ग्राम रियावली नगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर को पहले ही गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंकित पुत्र राजवीर निवासी ग्राम रियावली नगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 श्री हरीशचन्द त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 रुपक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा ट्यूबवैल से चोरी के मामले में 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से अभियुक्त निशानदेही पर कटे/जले हुए तांबे के तार,खुर्पी, दरांती, गुच्छी ताँवे का तार, तांबे की कोयल बरामदः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना पर विभिन्न तिथियों में ट्यूबेल चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराये गये थे । चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक कैराना को निर्देशित किया गया था । थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा ट्यूबेल चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा ट्यूबवैल से चोरी के मामले में 01 चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्त की निशानदेही पर कटे/जले हुए तांबे के तार,खुर्पी, दरांती, गुच्छी ताँवे का तार, तांबे की कोयल बरामद हुआ है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अनवर उर्फ बच्ची पुत्र अव्वल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अभियुक्त की निशानदेही पर टयूबवैल से चोरी किया हुआ कटा/जला हुए तांबे के तार, खुर्पी, दरांती, गुच्छी ताँवे का तार, तांबे की कोयल

अपराधिक इतिहास अभियुक्त –

1.मु0अ0स0 576/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 539/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 546/25 धारा303(2),317(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

4.मुअ0स0 511/25 धारा 303(2),317(2), बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.खुर्शीद पुत्र न्याज अली निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.नरेश पुत्र दिलावर निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 06 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 14,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

1.-वर्ष 2022 में अभियुक्त गुरप्रीत सिंह पुत्र परगट सिंह निवासी ग्राम दभेडी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0-611/2022 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2023 में अभियुक्त समीम पुत्र इकराम निवासी खन्द्रावली थाना कांधला शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0- 482/2023 धारा- 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2023 में अभियुक्त समीम पुत्र इकराम निवासी खन्द्रावली थाना कांधला शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 244/2023 धारा- 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

4.- वर्ष 2024 में अभियुक्त समीम पुत्र इकराम निवासी खन्द्रावली थाना कांधला शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 303/24 धारा- 303(2),317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

5. वर्ष 2024 में अभियुक्त समीम पुत्र इकराम निवासी खन्द्रावली थाना कांधला शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 305/24 धारा- 317(5),336(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

6. वर्ष 2009 में अभियुक्त चाहत पुत्र सरदारखां निवासी टपराना थाना झिंझाना शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 62/2009 धारा-3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 08 लीटर कच्ची शराब बरामदः-</u>

आज दिनांक 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 08 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सिम्मा पुत्र नियाब निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 08 लीटर कच्ची शराब।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. कां0 अंकित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. कां0 राजीव शर्मा। थाना झिंझाना जनपद शामली।